

राजस्थान सरकार


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प.....

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी अण्णलिया व भू.अ.नि. रीछे रिपोर्ट तथा तहसीलदार कुम्भलगढ़/गढ़बौर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम अण्णलिया तहसील गढ़बौर व जिला राजसमन्द जनाबन्दी सम्वत् 2072-75 में खाता संख्या 33/226 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज जानी है)
01	अण्णलिया	33/226	कालु पिता छगु	कालुलाल पिता छगु



अण्णलिया
उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़

क्रमांक :- 18/2019 प्रा.प. धारा -136

दिनांक :- 27/11/19

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार कुम्भलगढ़/गढ़बौर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री कालुलाल पिता छगुलाल चौर को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी